भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 63B/2017-18

हरेन्द्र नाथ महतो बनाम मनोहर महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15-9-2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी गम्हरिया के पत्रांक 1599 दिनांक 14.7.2017 द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 63 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता हरेन्द्र नाथ महतो पिता–स्व० भूपति महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता श्री मनोहर महतो, पिता – अलख निरंजन महतो, ग्राम– भालुकपहाड़ी, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावॉ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटगम्हरिया	67	141	803/अंशिक	0.04.26ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता स्वयं पंजी II के रैयत हैं एवं मौजा छोटागम्हरिया थाना न0 67 खाता न0 141,139,140 का कुल रकवा 4.71.17 ए0 भूमि है। आवेदक अपने हिस्से की अंशिक जमीन की बिक्री हेतु अवेदन किये हैं, जिसमे से 0.04.26ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.37.785ए0 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी ' अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.04.26ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।